Toppersnotes
Unleash the topper in you

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

सभी न्यायिक परीक्षाओं के लिए

भाग - 1

SIERRA INNOVATIONS

INDEX

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)		
1.	निरस्त अधिनियम (Repealed Act) के साथ BSA की संगत धारा तालिका	1
2.	मामलों की सूची [BSA]	26
3.	परिचय	29
4.	**अध्याय I :** धारा 1-2 [प्रारंभिक (Preliminary)]	45
5.	**अध्याय II :** धारा 3-50 [तथ्यों की सुसंगति (Relevancy of Facts)]	58
6.	**अध्याय III :** धारा 51-52 [जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है] ([Facts need not to be proved])	93
7.	**अध्याय IV :** धारा 53-55 [मौखिक साक्ष्य के विषय में] ([Of oral evidence])	95
8.	**अध्याय V :** धारा 56-93 [दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में] ([of documentary evidence])	96
9.	**अध्याय VI :** धारा 94-103 [दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में] ([Of the exclusion of oral evidence by documentary evidence])	113
10.	**अध्याय VII :** धारा 104-120 [सबूत का भार] ([Burden of proof])	119
11.	**अध्याय VIII :** धारा 121-123 [विबंध] ([Estoppel])	129
12.	**अध्याय IX :** धारा 124-139 [साक्षियों के विषय में (Witnesses)]	135
13.	**अध्याय X :** धारा 140-168 [साक्षियों की परीक्षा (Examination of witnesses)]	144
14.	**अध्याय XI :** धारा 169 [साक्ष्य का अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति (Improper admission and rejection of evidence)]	156
15.	साक्ष्य के foundational सिद्धांत और सूत्र (Foundational Doctrines and Maxims of Evidence)	156

1 CHAPTER The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

निरस्त अधिनियम (Repealed Act) के साथ BSA की संगत धारा तालिका

BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023	INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भाग I **अध्याय I** **प्रारंभिक (PRELIMINARY)**	**भाग I** **तथ्यों की सुसंगति (RELEVANCY OF FACTS)** **अध्याय I प्रारंभिक (PRELIMINARY)**
1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (Short title, application and commencement)।	1. संक्षिप्त नाम। विस्तार। अधिनियम का प्रारंभ (Short title. Extent. Commencement of Act)।
	2. निरस्त (Repealed)
2. परिभाषाएँ (Definitions)।	3. निर्वचन-खंड (Interpretation-clause)। 4. उपधारणा कर सकेगा (May Presume)। - उपधारणा करेगा (Shall presume)। - निश्चायक सबूत (Conclusive proof)।
भाग II **अध्याय II** **तथ्यों की सुसंगति (RELEVANCY OF FACTS)**	**अध्याय II** **तथ्यों की सुसंगति के विषय में (OF THE RELEVANCY OF FACTS)**
3. विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा (Evidence may be given of facts in issue and relevant facts)।	5. विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा (Evidence may be given of facts in issue and relevant facts)।
निकटता से जुड़े तथ्य (Closely connected facts)	

4. एक ही संव्यवहार (transaction) का भाग बनाने वाले तथ्यों की सुसंगति (Relevancy of facts forming part of same transaction)।	6. एक ही संव्यवहार (transaction) के भाग बनाने वाले तथ्यों की सुसंगति (Relevancy of facts forming part of same transaction)।
5. वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं (Facts which are occasion, cause or effect of facts in issue or relevant facts)।	7. वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं (Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue)।
6. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण (Motive, preparation and previous or subsequent conduct)।	8. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण (Motive, preparation and previous or subsequent conduct)।
7. विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को स्पष्ट (explain) या पुरःस्थापित (introduce) करने के लिए आवश्यक तथ्य (Facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts)।	9. सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण (explanation) या पुरःस्थापन (introduction) के लिए आवश्यक तथ्य (Facts necessary to explain or introduce relevant facts)।
8. सामान्य परिकल्पना (common design) के बारे में षड्यंत्रकारी (conspirator) द्वारा कही या की गई बातें (Things said or done by conspirator in reference to common design)।	10. सामान्य परिकल्पना (common design) के बारे में षड्यंत्रकारी (conspirator) द्वारा कही या की गई बातें (Things said or done by conspirator in reference to common design)।
9. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, कब सुसंगत हैं (When facts not otherwise relevant become relevant)।	11. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, कब सुसंगत हैं (When facts not otherwise relevant become relevant)।
10. नुकसानी के लिए वादों में, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं (Facts tending to enable Court to determine amount are relevant in suits for damages)।	12. नुकसानी के लिए वादों में, रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं (In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant)।

11. जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत हो तब सुसंगत तथ्य (Facts relevant when right or custom is in question)।	13. जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत हो तब सुसंगत तथ्य (Facts relevant when right or custom is in question)।
12. मन की या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना (bodily feeling) का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य (Facts showing existence of state of mind, or of body or bodily feeling)।	14. मन की या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना (bodily feeling) का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य (Facts showing existence of state of mind, or of body of bodily feeling)।
13. इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य कि कार्य आकस्मिक (accidental) था या साशय (intentional) (Facts bearing on question whether act was accidental or intentional)।	15. इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य कि कार्य आकस्मिक (accidental) था या साशय (intentional) (Facts bearing on question whether act was accidental or intentional)।
14. कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व (Existence of course of business) कब सुसंगत है (when relevant)।	16. कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व (Existence of course of business) कब सुसंगत है (when relevant)।
स्वीकृतियाँ (ADMISSIONS)	**स्वीकृतियाँ (ADMISSIONS)**
15. स्वीकृति की परिभाषा (Admission defined)।	17. स्वीकृति की परिभाषा (Admission defined)।
16. कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा स्वीकृति (Admission by party to proceeding or his agent)।	18. स्वीकृति - कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता (agent) द्वारा; प्रतिनिधिक (representative) हैसियत में वादकर्ता द्वारा; विषय-वस्तु (subject-matter) में हितबद्ध पक्षकार द्वारा; उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न (derived) हुआ हो (by person from whom interest derived)।

17. उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए (Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit)।	19. उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए (Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit)।
18. वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट (expressly referred) व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ (Admissions by persons expressly referred to by party to suit)।	20. वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट (expressly referred) व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ (Admissions by persons expressly referred to by party to suit)।
19. स्वीकृतियों को उन्हें करने वालों के विरुद्ध, और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना (Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf)।	21. स्वीकृतियों को उन्हें करने वालों के विरुद्ध, और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना (Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf)।
20. दस्तावेजों की अंतर्वस्तु (contents of documents) के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ (oral admissions) कब सुसंगत होती हैं (When oral admissions as to contents of documents are relevant)।	22. दस्तावेजों की अंतर्वस्तु (contents of documents) के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ (oral admissions) कब सुसंगत होती हैं (When oral admissions as to contents of documents are relevant)।
हटा दिया गया (DELETED)	**22A. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों (electronic records) की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत है (When oral admission as to contents of electronic records are relevant)।**
21. सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं (Admissions in civil cases when relevant)।	23. सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं (Admissions in civil cases when relevant)।

22. उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति (Confession), जब दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है (Confession caused by inducement, threat, coercion or promise, when irrelevant in criminal proceeding)।	24. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति (Confession), जब दांडिक कार्यवाही में विसंगत होती है (Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding)।
22. परंतुक (Proviso) 1	28. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव (impression) के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है (Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise, relevant)।
22. परंतुक (Proviso) 2	29. अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति (Confession) का गुप्त रखने के वचन (promise of secrecy) आदि के कारण विसंगत न हो जाना (Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.)।
23. पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति (Confession to police officer)। 23(1)	25. पुलिस-ऑफिसर से की गई संस्वीकृति (Confession) को साबित न किया जाना (Confession to police-officer not to be proved)।
23(2)	26. पुलिस की अभिरक्षा (custody) में होते हुए अभियुक्त (accused) द्वारा की गई संस्वीकृति (Confession) का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना (Confession by accused while in custody of Police not to be proved against him)।

23. परंतुक (Proviso)	27. अभियुक्त (accused) से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी (How much of information received from accused may be proved)।
24. साबित संस्वीकृति (proved confession) पर विचार जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित (jointly under trial) अन्य को प्रभावित करती है (Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence)।	30. साबित संस्वीकृति (proved confession) पर विचार जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित (jointly under trial) अन्य को प्रभावित करती है (Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence)।
25. स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत (conclusive proof) नहीं हैं, किंतु विबंध (estop) कर सकती हैं (Admissions not conclusive proof, but may estop)।	31. स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत (conclusive proof) नहीं हैं, किंतु विबंध (estop) कर सकती हैं (Admissions not conclusive proof, but may estop)।
BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023	**INDIAN EVIDENCE ACT, 1872**
उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता (STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESSES)	**उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता (STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESSES)**
26. वे दशाएँ जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का कथन, जिसकी मृत्यु हो गई है या जो मिल नहीं सकता, इत्यादि, सुसंगत है (Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant)।	32. वे दशाएँ जिनमें किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का कथन, जिसकी मृत्यु हो गई है या जो मिल नहीं सकता, इत्यादि, सुसंगत है (Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant)।

अध्याय XI साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में (CHAPTER XI OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE)	अध्याय XI साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में (CHAPTER XI OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE)
169. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए कोई नया विचारण नहीं होगा (No new trial for improper admission or rejection of evidence)।	167. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए कोई नया विचारण नहीं होगा (No new trial for improper admission or rejection of evidence)।
अध्याय XII निरसन और व्यावृत्ति (CHAPTER XII REPEAL AND SAVINGS)	
170. निरसन और व्यावृत्ति (Repeal and savings)।	**नई धारा (New Section)**

मामलों की सूची [BSA]

उपधारणा और सबूत का भार (Presumption & Burden of Proof)

- **Kali Ram v. State of Himachal Pradesh (1973) SC**
  - ✓ **नियम:** यदि साक्ष्य पर दो विचार संभव हों, तो अभियुक्त के पक्ष में जो विचार है उसे **स्वीकार किया जाना चाहिए।** (If two views are possible on evidence, the one favorable to the accused must be accepted.)
  - ✓ जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, निर्दोषिता की उपधारणा की जाती है। (Innocence is presumed until proven guilty.)
- **Woolmington v. DPP (1935)**
  - ✓ प्रसिद्ध UK का मामला, जिसे अक्सर भारत में उद्धृत (quoted) किया जाता है।
  - ✓ **नियम:** अभियोजन (Prosecution) को अपना मामला **उचित संदेह से परे (beyond reasonable doubt)** साबित करना होगा। आपराधिक मुकदमों में सबूत का भार कभी स्थानांतरित (shifts) नहीं होता।
- **State of U.P. v. Krishna Gopal (1988) SC**
  - ✓ **नियम:** उचित संदेह से परे सबूत का मतलब **पूर्ण निश्चितता (absolute certainty) नहीं है।** यदि साक्ष्य विश्वास जगाता है तो न्यायालय दोषसिद्धि कर सकते हैं।
- **State of Maharashtra v. Wasudeo Ramchandra (2008) SC**
  - ✓ **नियम:** निर्दोषिता की उपधारणा (Presumption of innocence) संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मानवाधिकार (human right) है।

- **Shambhu Nath Mehra v. State of Ajmer (1956) SC**
  - ✓ **नियम:** धारा 106 तब लागू होती है जब **तथ्य विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हों (facts are especially within the knowledge)**। लेकिन यह अभियोजन को उसके प्राथमिक भार (primary burden) से मुक्त नहीं करती है।

स्वीकृतियाँ और संस्वीकृतियाँ (Admissions & Confessions)

- **पकाला नारायण स्वामी V. एम्परर (1939) SC**
  - ✓ **नियम:** एक संस्वीकृति (confession) में या तो अपराध को स्वीकार किया जाना चाहिए या उन सभी तथ्यों को सारतः (substantially) स्वीकार किया जाना चाहिए जिनसे अपराध बनता है।
- **State of U.P. v. Deoman Upadhyaya (1960) SC**
  - ✓ **नियम:** न्यायिकेतर संस्वीकृतियाँ (Extra-judicial confessions) **अपने आप में अविश्वसनीय (unreliable per se) नहीं हैं।** यदि वे सत्य और स्वैच्छिक (voluntary) हैं तो वे दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं।
- **Nishi Kant Jha v. State of Bihar (1969) SC**
  - ✓ **नियम:** न्यायिकेतर संस्वीकृति को संपुष्टि (corroboration) की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि विश्वसनीय पाई जाती है तो यह **दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती है।**
- **State of Punjab v. Gurdeep Singh (1999) SC**
  - ✓ **नियम:** पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति धारा 25 के तहत ग्राह्य (admissible) नहीं है, सिवाय धारा 27 के तहत **तथ्यों की खोज (discovery of facts)** के लिए।

मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)

- **Khushal Rao v. State of Bombay (1958) SC**
  - ✓ **नियम:** मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है यदि यह **सत्य और स्वैच्छिक (truthful and voluntary)** हो। संपुष्टि (corroboration) की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **Laxman v. State of Maharashtra (2002) SC**
  - ✓ **नियम:** मृत्युकालिक कथन के लिए डॉक्टर द्वारा मानसिक स्वस्थता का प्रमाणन (Certification of mental fitness) **वांछनीय (desirable) है लेकिन अनिवार्य (mandatory) नहीं है।**
- **P.V. Radhakrishna v. State of Karnataka (2003) SC**
  - ✓ **नियम:** मृत्युकालिक कथनों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन मामूली विरोधाभास (minor contradictions) उन्हें **अविश्वसनीय नहीं बनाते हैं।**

दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence)

- **Hira Lal v. State of Bihar (1977) SC**
  - ✓ **नियम:** एक दस्तावेज़ की अंतर्वस्तु (contents) को **प्राथमिक साक्ष्य (primary evidence)**, यानी स्वयं दस्तावेज़ द्वारा, साबित किया जाना चाहिए, जब तक कि द्वितीयक साक्ष्य (secondary evidence) की अनुमति न हो।
- **State of Rajasthan v. Khemraj (2000) SC**
  - ✓ **नियम:** लोक दस्तावेजों (public documents) की प्रमाणित प्रतियाँ (Certified copies) **मूल दस्तावेज़ को मंगाए बिना ग्राह्य (admissible) हैं।**

मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)

- **Bhagwan Singh v. State of M.P. (2003) SC**
  - ✓ **नियम:** साक्ष्य **प्रत्यक्ष (direct)** होना चाहिए, जब तक कि मृत्युकालिक कथनों जैसे अपवाद मौजूद न हों।

पारिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence)

- **Hanumant v. State of Madhya Pradesh (1952) SC**
  - ✓ **नियम:** पारिस्थितिजन्य साक्ष्य को:
    - दोष को पूरी तरह से स्थापित करना चाहिए
    - केवल दोष के अनुरूप होना चाहिए
    - दोष के अलावा हर दूसरी परिकल्पना (hypothesis) को बाहर करना चाहिए
- **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra (1984)**
  - ✓ **नियम:** पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए **"पाँच सुनहरे सिद्धांत" (five golden principles)** निर्धारित किए:
    1. परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए।
    2. स्थापित तथ्य केवल दोष के साथ संगत (consistent) होने चाहिए।
    3. परिस्थितियाँ निश्चयात्मक (conclusive) होनी चाहिए।
    4. दोष के अलावा हर परिकल्पना (hypothesis) को बाहर करना चाहिए।
    5. साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए।

शिनाख्त परेड (Test Identification Parade - TIP)

- **Rameshwar Singh v. State of J&K (1972) SC**
  - ✓ **नियम:** शिनाख्त परेड (TIPs) केवल अन्वेषण (investigation) में सहायक हैं, **मूल साक्ष्य (substantive evidence) नहीं।**
- **Malkhan Singh v. State of M.P. (2003) SC**
  - ✓ **नियम:** शिनाख्त परेड **यथासंभव शीघ्र अवसर (earliest possible opportunity)** पर आयोजित की जानी चाहिए।

विशेषज्ञ की राय (Expert Opinion)

- **State of H.P. v. Jai Lal (1999) SC**
  - ✓ **नियम:** विशेषज्ञ की राय केवल **सलाहकारी (advisory)** होती है। न्यायालय इससे बाध्य (bound) नहीं है।

पक्षद्रोही साक्षी (Hostile Witness)

- **Sat Paul v. Delhi Administration (1976) SC**
  - ✓ **नियम:** एक साक्षी के पक्षद्रोही (hostile) घोषित होने से वह **पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं हो जाता।** उसके साक्ष्य का उपयोग अभी भी संपुष्टि (corroboration) के लिए किया जा सकता है।

सह-अपराधी का साक्ष्य (Accomplice Evidence)

- **R. v. Baskerville (1916) SC**
  - ✓ UK का मामला, जिसे अक्सर भारत में उद्धृत (quoted) किया जाता है।
  - ✓ **नियम:** सह-अपराधी के साक्ष्य पर दोषसिद्धि हो सकती है **यदि पर्याप्त संपुष्टि (sufficient corroboration) हो।**
- **Suresh Chandra Bahri v. State of Bihar (1994) SC**
  - ✓ **नियम:** एक इकबाली साक्षी (approver) की गवाही **विश्वसनीय होनी चाहिए और तात्विक विशिष्टियों (material particulars) पर संपुष्ट (corroborated) होनी चाहिए।**

परिचय

अधिनियम संख्या (ACT NO): 2023 का 47 अधिनियमन की तिथि

(Date of enactment): 25 दिसंबर, 2023 **प्रारंभ की तिथि**

(Date of commencement): 1 जुलाई, 2024

किसी भी अदालती मामले (court case) का मुख्य उद्देश्य किसी के **अधिकारों (rights)** या **जिम्मेदारियों (responsibilities)** का निर्णय करना होता है।

- **आपराधिक मामलों (criminal cases)** में, इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि **अभियुक्त (accused)** (जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है) दोषी (guilty) है या नहीं, और उसे क्या **दंड (punishment)** दिया जाना चाहिए।
- **दीवानी मामलों (civil cases)** में, इसका उद्देश्य संपत्ति (property), पारिवारिक अधिकार (family rights), समझौते (agreements), या लोगों या संगठनों के बीच व्यक्तिगत विवादों (personal disputes) के बारे में निर्णय करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन मामलों को **निष्पक्ष (fairly)** और **उचित (properly)** तरीके से संभाला जाए, हमें नियमों की आवश्यकता होती है। ये नियम मदद करते हैं:

1. यह समझने में कि लोगों के क्या **अधिकार (rights)** और **कर्तव्य (duties)** हैं, और
2. यह जानने में कि उन अधिकारों या कर्तव्यों को अदालत में कैसे **साबित (prove)** किया जाए।

ऐसा करने के लिए, **कानून (law)** को दो मुख्य भागों में बांटा गया है:

1. मौलिक विधि (Substantive Law) (कानून क्या है)

मौलिक विधि (Substantive law) कानून का वह हिस्सा है जो हमें बताता है:

- ✓ क्या सही है या क्या गलत है,
- ✓ क्या अनुमति है या क्या अनुमति नहीं है, और
- ✓ क्या होता है यदि कोई नियमों को तोड़ता है।

यह समाज में लोगों के **वास्तविक अधिकारों (actual rights)** और **कर्तव्यों (duties)** को **परिभाषित (defines)** करता है।

मौलिक विधि के उदाहरण (Examples of Substantive Law):

- ✓ **Indian Contract Act** – समझौतों (agreements) और वचनों (promises) से संबंधित है।
- ✓ **Transfer of Property Act** – संपत्ति की खरीद/बिक्री से संबंधित है।
- ✓ **भारतीय न्याय संहिता** – नया आपराधिक कानून जो अपराधों (crimes) और दंड (punishments) को परिभाषित करता है।

मौलिक विधि बताती है कि क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, और कानून तोड़ने पर क्या **दंड (punishment)** या **उपचार (remedy)** का सामना करना पड़ेगा।

यह इन जैसे क्षेत्रों पर लागू होता है:

- ✓ **आपराधिक कानून (Criminal law)** (जैसे, हत्या, चोरी),
- ✓ **दीवानी कानून (Civil law)** (जैसे, अनुबंध विवाद, संपत्ति मामले),
- ✓ **पारिवारिक कानून (Family law)** (जैसे, विवाह, तलाक)।

2. प्रक्रियात्मक विधि (Procedural Law) (कानून कैसे काम करता है)

प्रक्रियात्मक विधि (Procedural law) हमें बताती है कि किसी मामले को अदालत में कैसे लाया जाए और अदालतें उससे कैसे निपटेंगी।

इसमें वे सभी **चरण (steps)** और नियम शामिल हैं जिनका एक **कानूनी मामले (legal case)** में पालन किया जाना चाहिए - मामला दर्ज करने से लेकर **निर्णय (judgment)** प्राप्त करने तक।

प्रक्रियात्मक विधि के उदाहरण (Examples of Procedural Law):

- ✓ **Code of Civil Procedure (CPC)** – दीवानी मामलों में उपयोग किया जाता है।
- ✓ **Code of Criminal Procedure (CrPC)** – आपराधिक मामलों में उपयोग किया जाता है।
- ✓ **Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita** – नया आपराधिक प्रक्रिया कानून।
- ✓ **साक्ष्य (Evidence) (Bharatiya Sakshya Adhiniyam)**।

प्रक्रियात्मक विधि आपको बताती है कि अदालत में कैसे जाना है, **मुकदमा (trial)** कैसे चलेगा, और निर्णयों को कैसे **लागू (enforced)** किया जाएगा।

तार्किक सुसंगति (Logical Relevancy)

- **तार्किक सुसंगति** दो तथ्यों के बीच के संबंध को संदर्भित करती है, जिससे एक का अस्तित्व दूसरे तथ्य के अस्तित्व को **संभाव्य (probable)** या **असंभाव्य (improbable)** बना देता है।
- **Section 3 BSA** में कहा गया है कि अदालत में केवल कानूनी रूप से सुसंगत तथ्यों को ही साबित किया जा सकता है, और सभी तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य कानूनी रूप से सुसंगत नहीं होते हैं। संक्षेप में, सभी तथ्य जो तार्किक रूप से सुसंगत हैं, वे कानूनी रूप से सुसंगत नहीं हो सकते हैं।

अध्याय I (CHAPTER I)

धारा 1-2 [प्रारंभिक (Preliminary)]

धारा 1: संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (Short title, application and commencement)

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम. 2023 है।

(2) "यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी **न्यायिक कार्यवाहियों (judicial proceedings)** पर लागू होता है, जिसमें **सेना-न्यायालय (Courts-martial)** भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय या अधिकारी को प्रस्तुत किए गए **शपथ-पत्रों (affidavits)** पर, या किसी **मध्यस्थ (arbitrator)** के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है।"

यह खंड निर्दिष्ट करता है कि अधिनियम कहाँ लागू होता है:

- न्यायालयों में सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर,
- सेना-न्यायालयों (सैन्य अदालतें) पर,

लेकिन यह इन पर लागू नहीं होता है:

- न्यायालयों या अधिकारियों को प्रस्तुत किए गए शपथ-पत्रों पर (क्योंकि शपथ-पत्रों को आमतौर पर **स्वतः पूर्ण साक्ष्य (self-contained evidence)** माना जाता है जब तक कि उन्हें चुनौती न दी जाए),
- मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियों पर (जो विभिन्न नियमों का पालन करते हैं, आमतौर पर **Arbitration and Conciliation Act** के अनुसार)।

शपथ-पत्र - साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत साक्ष्य नहीं

1. **Indian Evidence Act** की धारा 3 के तहत शपथ-पत्र "साक्ष्य" नहीं हैं, जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।
2. वे **सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908** के **आदेश 19 (Order 19)** द्वारा विनियमित होते हैं।
3. एक शपथ-पत्र केवल तभी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है जब अदालत **CPC के आदेश 19 नियम 1 या 2 (Order 19 Rule 1 or 2)** के तहत इसकी अनुमति देती है और ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है।
4. **स्वेच्छा से (suo motu)** या अपने पक्ष में दायर किया गया शपथ-पत्र तथ्यों को साबित करने या राहत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
5. शपथ-पत्रों को सामान्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने का मुख्य कारण यह है कि शपथ-पत्र देने वाले व्यक्ति से **जिरह (cross-examined)** नहीं की जा सकती, जब तक कि अदालत द्वारा निर्देशित न किया जाए।

निष्कर्ष:

- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम** शपथ-पत्रों और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता है।
- शपथ-पत्र साक्ष्य नहीं हैं जब तक कि:
  - ✓ अदालत **CPC** के तहत एक विशिष्ट आदेश द्वारा इसकी अनुमति न दे, और
  - ✓ कानून स्पष्ट रूप से शपथ-पत्र द्वारा सबूत की अनुमति न दे।
- इसलिए, शपथ-पत्र अकेले अदालत में तथ्यों को साबित नहीं कर सकते जब तक कि कानूनी अधिकार या आगे की मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित न हों।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रिय सरकार राजपत्र में अधिनियम द्वारा प्रकाशित करे

धारा 2: परिभाषाएं (Definitions)

कानूनी परिभाषाओं में "अर्थ है" ("Means") और "के अंतर्गत आता है" ("Includes")

- जब भी किसी परिभाषा में "अर्थ है" ("mean") और "के अंतर्गत आता है" ("includes") शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो यह इंगित करता है कि परिभाषा **संपूर्ण (exhaustive)** और **सख्ती से बाध्यकारी (strictly binding)** है।
- अभिव्यक्ति को उस अर्थ के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है जो परिभाषा में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।
- यह अर्थ की एक संपूर्ण व्याख्या प्रदान करता है, जिसे अधिनियम के उद्देश्य के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

खंड (क) – "न्यायालय" ("Court")

(क) "'न्यायालय' के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, और मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं;"

यह परिभाषा एक **समावेशी (inclusive)** है—अर्थात यह "न्यायालय" शब्द के सामान्य अर्थ में कुछ और जोड़ती है, न कि उसे प्रतिबंधित करती है। यह स्पष्ट करती है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए:

"न्यायालय" में शामिल हैं:

- सभी **न्यायाधीश (Judges)** (जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, आदि सहित),
- सभी **मजिस्ट्रेट (Magistrates)** (न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जहां प्रासंगिक हो, कार्यपालक मजिस्ट्रेट),
- साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति, जैसे:
  - ✓ **CPC** के तहत साक्ष्य दर्ज करने के लिए नियुक्त **आयुक्त (Commissioners)**,
  - ✓ विशिष्ट वैधानिक शक्तियों के तहत जांच करने वाले अधिकारी,
  - ✓ जांच आयोग या अधिकरण, यदि वे कानूनी रूप से साक्ष्य लेने के लिए सशक्त हैं।

लेकिन स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है:

- **मध्यस्थों (Arbitrators)** को, भले ही वे मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान साक्ष्य ले सकते हैं।

मध्यस्थों को बाहर क्यों रखा गया है?

क्योंकि मध्यस्थता की कार्यवाही को इस अधिनियम के तहत न्यायिक कार्यवाही नहीं माना जाता है। मध्यस्थ **Arbitration and Conciliation Act, 1996** के तहत कार्य करते हैं, और एक अलग **साक्ष्यिक मानक (evidentiary standard)** का पालन करते हैं, जो अक्सर लचीला होता है और इस अधिनियम के तहत साक्ष्य के सख्त नियमों से बंधा नहीं होता है।

खंड (ख) – "निश्चायक सबूत" ("Conclusive proof")

(ख) "'निश्चायक सबूत' का अर्थ है, जब इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य को दूसरे का निश्चायक सबूत घोषित किया जाता है, तो न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर, दूसरे को साबित मानेगा, और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुमति नहीं देगा;"

यह खंड साक्ष्य विधि के संदर्भ में "निश्चायक सबूत" का अर्थ परिभाषित करता है।

1. निश्चायक सबूत = कानूनी अंतिमता (Legal Finality)
2. जब कानून यह घोषित करता है कि तथ्य 'क' तथ्य 'ख' का निश्चायक सबूत है, तो:
   - ✓ एक बार तथ्य 'क' साबित हो जाने पर,
   - ✓ न्यायालय को यह स्वीकार करना होगा कि तथ्य 'ख' भी साबित हो गया है,
   - ✓ तथ्य 'ख' को चुनौती देने के लिए कोई विपरीत साक्ष्य की अनुमति नहीं है।
3. **न्यायालय पर बाध्यकारी:** पहले तथ्य के साबित हो जाने पर न्यायालय के पास दूसरे तथ्य पर सवाल उठाने या किसी **खंडन (rebuttal)** की अनुमति देने का कोई **विवेक (discretion)** नहीं होता है।

उदाहरण: मान लीजिए कानून कहता है:

"एक पंजीकृत जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि का निश्चायक सबूत है।" तो:

- एक बार जब पंजीकृत जन्म प्रमाण पत्र अदालत में पेश कर दिया जाता है,
- उसमें बताई गई जन्म तिथि को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए,
- कोई भी पक्ष एक अलग जन्म तिथि दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता।

निश्चायक सबूत = अखंडनीय उपधारणा (Irrebuttable presumption).

खंड (ग) – "नासाबित" ("Disproved")

"'नासाबित', किसी तथ्य के संबंध में, इसका अर्थ है, जब अपने समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय या तो यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य मानता है कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति को, उस विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है।"

यह खंड परिभाषित करता है कि कानूनी कार्यवाही में किसी तथ्य के "नासाबित" होने का क्या अर्थ है।

किसी तथ्य को 'नासाबित' करने के दो तरीके हैं:

1. न्यायालय **सकारात्मक रूप से विश्वास करता है (positively believes)** कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, या
2. न्यायालय तथ्य के अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य पाता है कि:
   - ✓ एक **प्रज्ञावान व्यक्ति (prudent person)** (साधारण देखभाल और निर्णय का उपयोग करने वाला एक उचित व्यक्ति),
   - ✓ समान परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करेगा कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

उदाहरण: मान लीजिए कोई व्यक्ति दावा करता है: "वह घटना स्थल पर मौजूद था।" इसे नासाबित करने के लिए, विरोधी पक्ष प्रस्तुत कर सकता है:

- **CCTV फुटेज (CCTV footage)** जो दिखाता है कि वह कहीं और था,
- **यात्रा (Travel logs)**, अभिलेख
- गवाह जो गवाही देते हैं कि वह वहां नहीं था।

यदि न्यायालय:

- यह विश्वास करता है कि वह वहां नहीं था, या
- यह इतना अधिसंभाव्य पाता है कि वह वहां नहीं था कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति उस धारणा पर कार्य करेगा, तो यह कहा जाएगा कि "वह घटनास्थल पर मौजूद था" तथ्य नासाबित हो गया है।

खंड (घ) – "दस्तावेज़" ("Document")

"'दस्तावेज़' का अर्थ है किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या उनमें से एक से अधिक माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलिखित कोई भी विषय, जिसका उपयोग उस विषय को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए किया जाना आशयित है, या किया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख शामिल हैं।"

यह खंड साक्ष्य कानून के प्रयोजनों के लिए "दस्तावेज़" का एक व्यापक और समावेशी परिभाषा प्रदान करता है।

आवश्यक तत्व:

एक **दस्तावेज़ (document)** का अर्थ है:

1. **कोई भी विषय** (जानकारी, विचार, संचार),

2. जो कि:

- ✓ **अभिव्यक्त (Expressed)** (स्पष्ट रूप से कहा गया),
- ✓ **वर्णित (Described)**, या
- ✓ **अन्यथा अभिलेखबद्ध (Otherwise recorded)** हो

3. किसी भी भौतिक या अभौतिक पदार्थ पर (जैसे कागज, धातुपट्ट शिला लेख पर उत्कीर्ण लेख

4. निम्न द्वारा:

- ✓ **अक्षरों (Letters)** (जैसे, लिखित पाठ),
- ✓ **अंकों (Figures)** (जैसे, संख्याएं, कोड),
- ✓ **चिह्नों (Marks)** (जैसे, हस्ताक्षर, प्रतीक),
- ✓ या **किसी अन्य माध्यम से** (जैसे, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, क्यूआर कोड),
- ✓ या इनके संयोजन से,

5. उस विषय को अभिलिखित करने के उद्देश्य या संभावना के साथ।

आधुनिक अभिलेख का समावेश:

- ➢ परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल हैं:
  - ✓ **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (Electronic records)** (जैसे, ईमेल, पीडीएफ, स्कैन की गई प्रतियां, वर्ड फाइलें),
  - ✓ **डिजिटल अभिलेख (Digital records)** (जैसे, ब्लॉकचेन प्रविष्टियां, क्लाउड डेटा, मोबाइल संदेश, सीसीटीवी फुटेज, आदि)।

खंड (ङ) – "साक्ष्य" ("Evidence")

"'साक्ष्य' से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं—

i. वे सभी कथन, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से दिए गए कथन भी हैं, जिन्हें न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा उन जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;

ii. वे सभी दस्तावेज़, जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय अभिलेख भी हैं, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसे दस्तावेज़ दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं।"

समावेशी परिभाषा (Inclusive Definition):

यह एक समावेशी परिभाषा है - जो साक्ष्य के पारंपरिक और आधुनिक दोनों रूपों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

उप-खंड (i): मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)

- ➢ न्यायालय में गवाहों द्वारा दिए गए सभी बयान,
- ➢ ये भौतिक रूप से या **इलेक्ट्रॉनिक रूप से** दिए जा सकते हैं (जैसे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से),

- न्यायालय द्वारा अनुमत या अपेक्षित होने चाहिए,
- न्यायिक जांच के तहत तथ्य के मामलों से संबंधित होने चाहिए।
- ऐसे कथनों को कहा जाता है: **मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)**।

  उदाहरण: एक गवाह का अदालत में यह गवाही देना कि उसने अपराध के दौरान क्या देखा, या वीडियो कॉल के माध्यम से दूर से गवाही देना।

उप-खंड (ii): दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence)

- सभी दस्तावेज़, जिनमें शामिल हैं:
  - ✓ **भौतिक (Physical)** (कागज-आधारित) दस्तावेज़,
  - ✓ **इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (Electronic records)** (ईमेल, पीडीएफ, ऑडियो फाइलें),
  - ✓ **डिजिटल अभिलेख (Digital records)** (क्लाउड दस्तावेज़, ब्लॉकचेन प्रविष्टियां, चैट ट्रांसक्रिप्ट),
- इन्हें निरीक्षण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ऐसी सामग्रियों को कहा जाता है: **दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence)**।

  उदाहरण: एक बिक्री विलेख, एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, सीसीटीवी फुटेज, या न्यायालय में प्रस्तुत एक डिजिटल चालान।

साक्ष्य (Evidence)

- **साक्ष्य** का अर्थ है **परिसाक्ष्य (testimony)** (चाहे मौखिक, दस्तावेजी, या वास्तविक) जिसे विवाद में कुछ तथ्यों को साबित करने या नासाबित करने के लिए कानूनी रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उस परिसाक्ष्य की सामग्री भी शामिल है।

क्या कानूनी साक्ष्य नहीं बनता है?

- जांच का परिणाम कानूनी साक्ष्य नहीं है।
- **FIR सारवान साक्ष्य (substantive piece of evidence)** नहीं है।
- सह-अभियुक्त का **इकबालिया बयान (confession)** साक्ष्य नहीं माना जाता है।
- **धारा 313 CrPC/351 BNSS** के तहत दर्ज किया गया बयान साक्ष्य नहीं है।
- एक मामले में दिया गया साक्ष्य दूसरे मामले में उपयोग नहीं किया जा सकता है यदि अलग-अलग मुद्दे शामिल हों। हालांकि, पक्ष सहमत हो सकते हैं कि एक मुकदमे में लिया गया साक्ष्य दूसरे मुकदमे में साक्ष्य माना जाएगा।
- शपथ-पत्र (Affidavit) साक्ष्य नहीं है जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

साक्ष्य की परिभाषा पर न्याय-निर्णय (Case Laws)

- **State of Maharashtra v. Prafull B. Desai (2003 SC)** – सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं" शब्द बताते हैं कि साक्ष्य की परिभाषा **संपूर्ण (exhaustive)** है।
- **Nardeep Singh v. State of Punjab (2014 SC)** – न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि साक्ष्य की परिभाषा संपूर्ण है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य (Circumstantial Evidence)

- कानून के स्थापित सिद्धांतों में से एक यह है कि एक गवाह झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं।
- किसी अपराध के पीछे व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए **प्रत्यक्ष (प्रत्यक्षदर्शी) साक्ष्य (Direct ocular (eye-witness) evidence)** आवश्यक नहीं है।
- दोष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से भी साबित किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच अंतर

- प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है। एकमात्र अंतर **सबूत के तरीके (mode of proof)** में निहित है:
  - ✓ **प्रत्यक्ष साक्ष्य** सीधे अपराध के किए जाने को स्थापित करता है।
  - ✓ **परिस्थितिजन्य साक्ष्य** उन परिस्थितियों को प्रस्तुत करके अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को स्थापित करता है जो दोष के **अखंडनीय अनुमान (irresistible inference)** की ओर ले जाती हैं।
- हालांकि, पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

मामला: Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra (AIR 1984 SC 1622)

न्यायमूर्ति एस.एम. फजल अली ने उन शर्तों को निर्धारित किया जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए:

पांच स्वर्णिम सिद्धांत:

- **परिस्थितियों को पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए।**
  - ✓ अभियुक्त के खिलाफ उपयोग किए गए प्रत्येक तथ्य या परिस्थिति को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सभी तथ्यों को केवल अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करना चाहिए।**
  - ✓ साक्ष्य की श्रृंखला को केवल एक ही निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए - कि अभियुक्त दोषी है।
- **परिस्थितियों को निश्चयात्मक प्रकृति का होना चाहिए।**
  - ✓ साक्ष्य इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी अन्य संभावना को खारिज कर दे।
- **अन्य सभी संभावित स्पष्टीकरणों को खारिज किया जाना चाहिए।**
  - ✓ यदि कोई अन्य उचित स्पष्टीकरण है, तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।
- **साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए।**
  - ✓ साक्ष्य की श्रृंखला में कोई छूटी हुई कड़ी नहीं होनी चाहिए - इसे बिना किसी अंतराल के अभियुक्त को अपराध से जोड़ना चाहिए।